संख्या-141/2022/I/238394/008-71-2002/101/2021

शुद्धि-पत्र

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 नवम्बर, 2022

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में के0जी0एम0यू0 के खदरा एवं आई0डी0एच0 परिसर में निर्माणाधीन परियोजना न्यू हास्टल ब्लाक हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-139/2022/155/2020/001-71-2099-101-2021, दिनांक 21.11.2022 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के खदरा एवं आई0डी0एच0 परिसर में न्यू हास्टल ब्लाक के निर्माण संबंधी प्रायोजना की अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 15707.72 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू0 1000.00 लाख (अनुदान संख्या-31 से 790.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 210.00 लाख) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-5 में यह अंकित है कि "यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-360/दस-2022-23, दिनांक-07 नवम्बर, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है। "कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न उक्त संख्या को प्रश्नगत प्रायोजना की अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 15707.72 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में निर्गत समझा जाएगा।

3- उक्त शासनादेश द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 1000.00 लाख (अनुदान संख्या-31 से 790.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 210.00 लाख) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या1-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4-इस सीमा तक उपरोक्त शासनादेश संख्या-139/2022/155/2020/001-71-2099-101-2021, दिनांक 21.11.2022 को संशोधित समझा जाएगा तथा इसमें उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या उपरोक्त, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।
6. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्ध्क, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://sha

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।